पत्रावली आज प्रार्थी/वादी मय अधिवक्ता उपस्थित आकर प्रा0पत्र देने पर पेशी में ली गई। लोक अदालत की भावना से प्रार्थी/वादी अब इस वाद को विड्रा हेतु निवेदन किया। इसलिए न्यायहित में वाद विड्रो करने के आदेश फरमावें। अतः प्रार्थी/वादी का प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली इस स्तर पर विड्रो के आधार पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.01.06 20:28:30 IST
Reason: SelfAttested